1.4.14 वन सरंक्षण

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि हेतु जमीन की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में संगठित एवं हिसंक अतिक्रमण के प्रयास भी हो रहे है। कई अशासकीय संगठनों द्वारा भी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने की घटनायें भी प्रकाश में आई है।

जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पाच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.27 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.27
वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		2011	2012	2013	2014	2015
अवैध कटाई के प्रकरण		55699	54634	54011	52613	48988
अवैध चराई के प्रकरण		1325	1112	1031	877	933
अवैध परिवहन के प्रकरण		2282	2082	2239	2137	1968
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1479	2411	1699	1573	1658
	नवीन प्रभावित क्षेत्र(हे0)	2010	4997	3679	3140	2622
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	1014	758	1257	1186	986
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	4375	3107	279	659	631
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		**66514**	**64910**	**62293**	**60411**	**56174**
अवैध परिवहन मे जप्त वाहनों संख्या		1001	1592	1126	1295	1651
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2110	2113	2885	3180	3227
वन अपराध में वसूल राशि(लाख में)		296.47	318.98	429.87	451.49	387.31

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमन करने के लिये बनाये गये म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानो का उल्लघंन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.28 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.28

वर्षवार दर्ज प्रकरण

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015
प्रकरण संख्या	385	301	308	184	172

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये है। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2015 स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध है। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

वर्ष 2015 में 1350 वन अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये गये तथा समस्त वन अपराधों में 2667 वाहन जप्त किये गये हैं जिसमें अवैध परिवहन में 1758 वाहन जप्त किये गये है। कर्तव्य के दौरान वन कर्मचारियों पर हमले के 45 प्रकरण दर्ज हुये, जिसमें 48 कर्मचारी हमले में गम्भीर रूप से घायल हुआ।

वर्ष 2015 में रू. 3.57 करोड़ राशि अभिसंधारित प्रकरणों में वसूल की गई। वन अपराध प्रकरणों से संबंधित वनमण्डलवार/वृत्तवार जानकारी परिशिष्ट 06 से 16 में संलग्न है।

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है। जिसके प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए है। वर्ष 2011 में 19324 हे. वनक्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ था जो 2015 में घटकर मात्र 1745 हे. वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ है।

1.4.15 उत्पादन

राज्य में मुख्य रुप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वनवर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता हैं। साथ ही वनोपज की ओद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनो के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत पांच वर्षो में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस उत्पादन का विवरण तालिका क्रमांक 1.29 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.29
काष्ठ, बॉस उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	वर्ष				
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16*
ईमारती लकड़ी (घनमीटर)	2,43,357	2,53,474	2,35,456	2,40,409	98,717
जलाऊ चट्टें (नग)	2,04,227	1,90,125	1,73,679	1,78,481	43,905
बॉस (नो.टन)	75,914	1,05,358	79,168	41,858	3,959
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपयें)	871.25	989.66	1104.82	1073.93	804.35

* दिसम्बर 2015 तक

निस्तार व्यवस्था–

निस्तार डिपो से बॉस बल्ली का प्रदाय

राज्य शासन की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 05 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है, जिन्हे घरेलू उपयोग के लिये बांस, छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली), हल–बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपजों की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी–पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24,058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है, जिन्हें रायल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बैगा आदिवासियों जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते है, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया है। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक 1.30 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.30
वर्षवार निस्तार प्रदाय

(मात्रा लाख में) (राशि रू. लाख में)

विवरण	प्रदाय निस्तार सामग्री								
	2013			2014			2015		
वनोपज का नाम	बांस (नो.टन)	बल्ली (नगं)	जलाऊ चट्टे (नग)	बॉस (नो. टन)	बल्ली (नग)	जलाऊ चट्टे	बॉस (नो.टन)	बल्ली (नग)	जलाऊ चट्टे (नग)
मात्रा	60.03	1.43	00.91	58.25	1.26	0.84	45.97	0.81	0.74
विक्रय मूल्य	670.11	154.99	470.91	661.27	130.83	484.51	526.82	107.12	427.95
बाजार मूल्य	1390.55	234.80	1085.33	1394.36	224.85	1319.56	1202.50	185.71	1311.28
दी गई रियायत	**1414.67**			**1662.16**			**1637.59**		

1.4.16 वन्यजीव प्रबंधन

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। उक्त अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के गठन एवं प्रबंधन के अतिरिक्त टाईगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तथा कम्यूनिटी रिजर्व बनाये जाने के भी प्रावधान हैं। अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां है। प्रथम 5 अनुसूचियां वन्यप्राणियों को वर्गीकृत करती है तथा अनुसूची 6 में पादप प्रजातियां उल्लेखित है। अनुसूचियों में उल्लेखित प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र के अंदर एवं बाहर विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। शेष प्रजातियां संरक्षित क्षेत्र के भीतर होने पर ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधित होती हैं। संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध निर्जीव वस्तुयें भी वन्यजीवों के पर्यावास का भाग होने के कारण उनका विदोहन अधिनियमित है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। विलुप्तप्राय पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव, खरमोर के संरक्षण के लिए सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य गठित किये गये हैं। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के लिए टाईगर सफारी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन प्राणी प्रजातियॉ है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची **परिशिष्ट–17** में दी गई है।

वन्यप्राणी संरक्षण

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों – संरक्षित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय वनमण्डल की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है।

- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये 10 रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड कार्यरत है।
- वन्यप्राणियों के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 05 श्वानों तथा उनके 10 हेण्डलर्स एवं सहायक हेण्डलर्स को प्रशिक्षित कर क्रमशः होशंगाबाद, जबलपुर, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद, सागर एवं इन्दौर में रखा गया है। 03 अन्य श्वान दस्तों का सतना, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी एवं भोपाल में रखा जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 21 जनवरी 2016 से 06 माह का प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है।
- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सकों के पृथक केडर निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई है।

- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत एक वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फोरेन्सिक केन्द्र वन विभाग की मदद से संचालित है।
- वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (STF) ने दुर्लभ वन्यप्राणी पेंगोलिन के अंगो के व्यापार में लिप्त अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के विरूद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

वन्यप्राणियों की अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हे। विगत पांच वर्षो की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.31 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.31
अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2011	361	757	1118
2012	352	918	1270
2013	358	1098	1456
2014	347	1232	1579
2015*	172	802	974

* वर्ष 2015 के आंकड़ों को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.32 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.32

अवैध शिकार एवं मृत वन्यप्राणी की संख्या

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यप्राणियों की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्य प्राणियों की संख्या	योग
2011	440	836	1276
2012	336	975	1311
2013	476	1189	1665
2014	434	1378	1812
2015*	230	835	1065

* वर्ष 2015 के आंकड़ों को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास

- सांप व गुहेरा को छोड़कर किसी भी वन्यप्राणी द्वारा जन हानि किये जाने पर वन विभाग द्वारा रूपये 1,50,000/– अनुकम्पा अनुदान देने का प्रावधान है।
- जन घायल होने पर शासन के आदेश दिनांक 31.05.2014 अनुसार इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की व्यवस्था में अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु अतिरिक्त रूप से रूपये 500/– प्रति दिन (अधिकतम सीमा रू. 30,000) के अनुकम्पा देने का प्रावधान है।

- स्थाई रूप से अपंग होने पर रू.1,00,000/–के अनुकम्पा अनुदान देने का प्रावधान है।
- वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान हैं। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार वनाधिकारिों द्वारा निर्धारित की जाती है एवं भुगतान किया जाता है।

जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है।

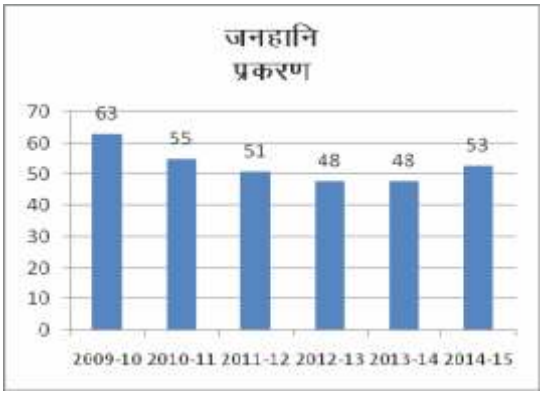

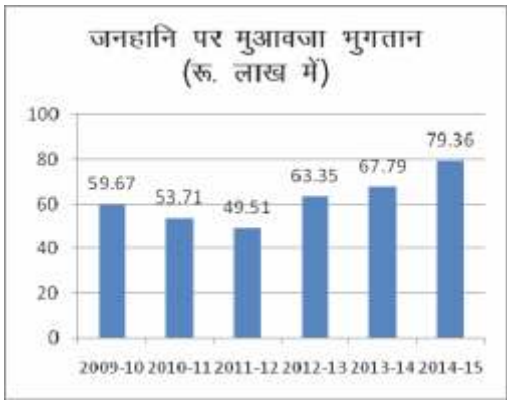

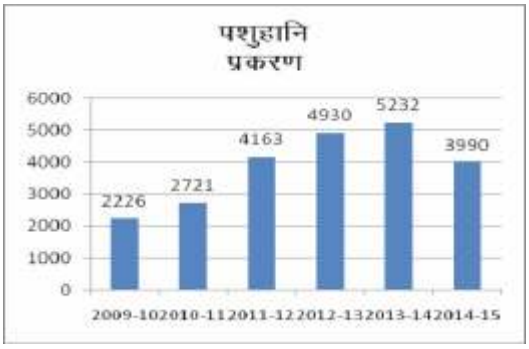

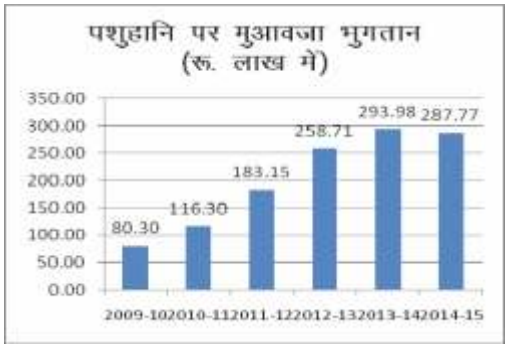

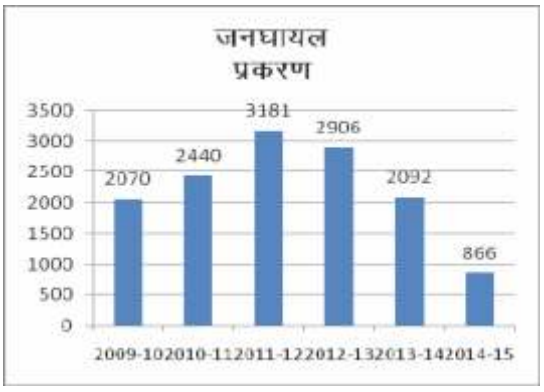

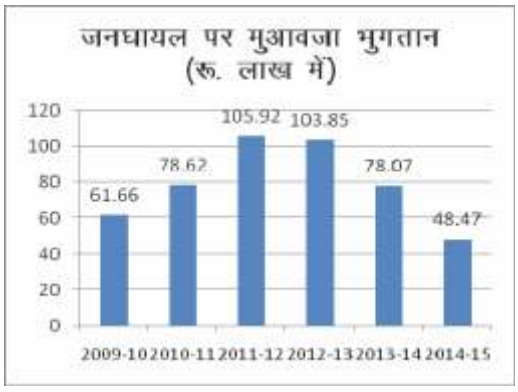

टीपःवर्ष 2014–15 के आंकड़ों को अद्यतन् करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वंद को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों से चिन्हित ग्रामों का पुनर्स्थापन किया जाता है। इस हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता हैं केन्द्र से पर्याप्त

राशि प्राप्त ना होने के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना के अंतर्गत राशि के प्रावधान में वृद्धि की गई है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पुर्नस्थापित ग्रामों में ग्रामवासियों का कौशल उन्नयन कर रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। विगत वर्षो में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.33 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.33
संरक्षित क्षेत्र में पुर्नस्थापित ग्राम

वित्तीय वर्ष	पुनर्स्थापित ग्राम संख्या
2010–11	3
2011–12	1
2012–13	4
2013–14	13 एवं 1 आंशिक
2014–15	17 एवं 3 आंशिक
2015–16	12 एवं 9 आंशिक

कान्हा टाइगर रिजर्व में ग्राम जामी के पुनर्स्थापन के पूर्व एवं पुनर्स्थापन के पश्चात् घास के मैदान

पुनर्स्थापन के पूर्व

पुनर्स्थापन के पश्चात्

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ग्राम साकोट का पुनर्स्थापन के पश्चात्

पुनर्स्थापन के पूर्व

पुनर्स्थापन के पश्चात्

वन्यप्राणियों की संख्या का आकलन

बाघों, सह–परभक्षियों एवं अन्य वन्य पशुओं की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से प्रति चार वर्ष में एक बार किया जाता है। अभी तक हुये तीन आंकलन में मध्यप्रदेश में बाघों की औसत संख्या का आकलन तालिका क्रमांक 1.34 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.34

बाघों की संख्या का आंकलन

बाघों की संख्या			
राज्य / वर्ष	2006	2010	2014
मध्यप्रदेश	300 (236–364)	257 (213–301)	308

वर्ष 2016 में 23 जनवरी से प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना का प्रथम चरण सम्पादित किया गया है, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी आंकलन का कार्य दिनांक 31 जनवरी से 06 फरवरी 2016 के मध्य सम्पन्न किया गया है। गणना उपरान्त ऑकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कार्य प्रगति पर है।

टाइगर रिजर्व का प्रबंधन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V (4) (ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का बहुउपयोग में लाया जाने वाला वह क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। यहॉ कोर क्षेत्र की तुलना में प्रतिबन्ध कम होते है।

टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनायी जाने वाली टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन

राज्य शासन के संकल्प के बिन्दु क्रमांक 30 के पालन में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु एक नवीन योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित होने से वर्ष 2012–13 से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विगत वर्षो में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय तालिका क्रमांक 1.35 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.35

संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
पर्यटकों की संख्या (लाख)	10.96	10.28	10.90	9.32
अर्जित आय (लाख रूपयें)	1844.8	1482.84	2068.29	2161.32

1.4.17 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर सोलह कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.36 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.36
कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयॉ

कार्य आयोजना (आंचलिक)	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।

मध्यप्रदेश के कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा जिन वनमंडलों की कार्य आयोजना पुनरीक्षित की जा रही है। विवरण तालिका क्रमांक 1.37 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.37
पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना की सूची

अ.क्र.	कार्य आयोजना इकाई	का.आ. पुनरीक्षणाधीन वनमंडल
1	भोपाल	सीहोर/ औबेदुल्लागंज
2	बैतूल	दक्षिण बैतूल
3	होशंगाबाद	पश्चिम बैतूल
4	सागर	दमोह
5	छतरुपर	छतरपुर
6	इंदौर	खरगोन/सेंधवा
7	खण्डवा	बुरहानपुर
8	ग्वालियर	ग्वालियर/ भिंड/ दतिया
9	शिवपुरी	शिवपुरी
10	उज्जैन	झाबुआ/अलीराजपुर
11	जबलपुर	पश्चिम मंडला
12	सिवनी	उत्तर सिवनी
13	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट
14	रीवा	उमरिया
15	शहडोल	दक्षिण शहडोल/अनूपपुर
16	छिंदवाडा	पश्चिम छिन्दवाड़ा

वर्ष 2015–16 में 10 वनमंडलों की कार्य आयोजना की समयावधि वृद्धि एवं 06 वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। विवरण तालिका क्रमांक 1.38 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.38
भारत सरकार द्वारा प्रदाय की गई समयावधि वृद्धि
एवं अनुमोदित कार्य आयोजनायें

(माह फरवरी 2016 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	2	3	4
1	समयावधि वृद्धि प्राप्त कार्य आयोजनायें	10	सीहोर, औबेदुल्लागंज, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, पश्चिम मण्डला, उमरिया, पश्चिम छिंदवाडा,बुरहानपुर गुना एवं अशोकनगर
2	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	06	उज्जैन, शाजापुर, धार, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट एवं कटनी

1.4.18 वन भू–अभिलेख

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठन

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) अनुपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्रों के निर्वनीकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये जानकारी संकलित की जा रही है।

(घ) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है। अधिकारों के अभिलेखन का कार्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है।

वन राजस्व सीमांकन

वर्ष 2004 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। वन सीमा से लगे 19,714 ग्रामों में से 19,554 ग्रामों में वन एवं राजस्व सीमाओं के सत्यापन उपरान्त अभिलेखों को अद्यतन् करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी है।

वन व्यवस्थापन

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा ''4'' के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वन खण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश/प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है।

दिनांक 03.05.2012 को वन विभाग की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये थे कि ''कई वर्षों से लंबित वन व्यवस्थापन कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये पूर्णकालिक वन व्यवस्थापन अधिकारी के पदस्थापना हेतु प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किये जाये'' माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पालन में टीप क्रमांक/383 दिनांक 17.05.2012 से प्रदेश के 16 वन वृत्तों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर पृथक से उप जिलाध्यक्ष स्तर के स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे लेकिन पदस्थापना अभी तक अपेक्षित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा टीप क्रमांक/2367 दिनांक 01.01.2016 से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को बैतूल जिले में पूर्णकालिक वन व्यवस्थापन अधिकारी की पदस्थापना हेतु पुनः लेख किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव, कार्यालय का पत्र क्रमांक–974/एफ–25– 08/2015/10–3 दिनांक 01 जून 2015 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं में सम्मिलित पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने बावत् कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को दिये गये है।

वनग्रामों की भूमि का प्रबन्धन

(क) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना –

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इन 827 वन ग्रामों में से 310 वन ग्रामों की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक/337/1995 की आई.ए.क्रमांक–2 में दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है एवं भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की स्वीकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.04 से स्थगन जारी किया गया है। इस कारण शेष 517 वन ग्रामों के लिये भी स्वीकृति लम्बित है। वैसे भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 310 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति किये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं। शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वन ग्रामों से बनाये गये राजस्व ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग का ही रहेगा।

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (ज) में वनग्रामों के संपरिवर्तन के अधिकार का उल्लेख है।

(ख) वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को हस्तांतरित वन ग्राम

वर्ष 1980 के पूर्व वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को 533 वन ग्राम हस्तांतरित किये गये। इनमे से केवल 06 वन ग्राम ही निर्वनीकृत हुये हैं। इन 06 वन ग्रामों का हस्तांतरण दिसम्बर 1975 में हुआ था और इनमे से 02 वन ग्राम जून 1978 में, 02 वनग्राम दिसम्बर 1979 में और 02 वन ग्राम सितम्बर 1986 में निर्वनीकृत किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन सभी 533 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मंशा से ही इन्हें राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया था लेकिन उक्त 06 वन ग्रामों के अतिरिक्त शेष 527 वन ग्रामों की वन भूमि को अभी तक निर्वनीकृत नहीं किया गया है। वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मंशा से राजस्व विभाग को हस्तांतरित उक्त 533 में से शेष 527 वन ग्रामों की वनभूमि को

हस्तांतरण के दिनांक से निर्वनीकृत करने के लिए वन (संरक्षण) 1980 प्रभावशील होने या नहीं होने बाबत् अभिमत हेतु विधि विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है।

———————————